अनुबंध

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम : जुलाई 2018 से जून 2019*

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	मौद्रिक नीति विभाग
1 अगस्त 2018	नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 6.50 प्रतिशत कर दिया गया।
5 अक्तूबर 2018	मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से बदल कर नपा-तुला (कैलिब्रेटेड) कर दिया गया।
7 फरवरी 2019	नीतिगत रिपो दर 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत कर दी गई और मौद्रिक नीति रुख को नपा-तुला (कैलिब्रेटेड) बदलकर तटस्थ कर दिया गया।
4 अप्रैल 2019	नीतिगत रिपो दर 25 आधार अंक की कमी करके 6.0 प्रतिशत कर दी गई।
6 जून 2019	नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 5.75 प्रतिशत कर दिया गया और मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से बदलकर समायोजनकारी बना दिया गया।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
21 सितंबर 2018	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन) संबंधी दिशानिर्देश जारी किया गया।
17 अक्तूबर 2018	एससीबी के लिए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय से संबंधित मास्टर निदेश (एमडी) को अद्यतन किया गया और आरआरबी के लिए राहत उपाय से संबंधित मास्टर निदेश जारी किया गया।
2 जनवरी 2019	श्री यू.के.सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई से संबंधित विशेषज्ञ समिति गठित की गयी।
4 फरवरी 2019	पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केसीसी योजना का लाभ उनके लिए बढ़ा दिया गया।
7 फरवरी 2019	• संपार्श्विक रहित कृषि ऋण की मौजूदा ₹1 लाख की सीमा को बढ़ा कर ₹1.6 लाख कर दिया गया। • कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया।
21 फरवरी 2019	"एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना" से संबंधित परिपत्र जारी किया गया जिसमें इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु बैंकों को सूचित किया गया था।
7 मार्च 2019	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान संशोधन के साथ ₹3 लाख तक के अल्प कालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया।
6 मई 2019	आरआरबी और एसएफबी के लिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण हेतु पात्रता मानदंड संशोधित किए गए।
	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
24 जुलाई 2018	• सभी प्रकार के संपार्श्विक के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा उसके विनियमन को सरल बनाने और व्यापक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों (जी सेक) में रिपो, कार्पोरेट बॉन्ड और तृतीय पक्ष रिपो को शामिल करते हुए व्यापक रिपो निर्देश जारी किए गए। • पात्र सहभागियों के आधार को उदार बनाए जाने के साथ-साथ "जब निर्गत" (हवेन इश्यूड)बाजार में संव्यवहार हेतु संस्थावार सीमाओं में रियायत देते हुए केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 'जब निर्गत' से संबंधित निदेश जारी किया गया।
25 जुलाई 2018	सरकारी प्रतिभूतियों में अधिविक्रय हेतु पात्र सहभागियों के आधार को उदार बनाने के साथ-साथ संस्थावार एवं प्रतिभूति श्रेणीवार सीमाओं में रियायत देते हुए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अधिविक्रय संबंधी निदेश जारी किए गए।
5 अक्तूबर 2018	रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स (ईटीपी) को प्राधिकृत करने हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2018 जारी किया गया।
29 अक्तूबर 2018	भुगतान बैंक और एसएफबी को मांग मुद्रा बाजार में उधारकर्ता और देनदार दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी।
29 नवंबर 2018	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी वित्तीय बाज़ारों में सहभागिता के लिए गैर-वैयक्तिक संस्थाओं हेतु विधिक पहचान संख्या (एलईआई) संहिता लागू की गई।
7 फरवरी 2019	अनिवासियों को अपनी हेजिंग आवश्यकताओं हेतु घरेलू बाजार का रुख करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ऑनशोर हेजिंग कार्यकलाप को बढ़ावा देने हेतु बाजार चलनिधि में सुधार लाने के लिए ऑफशोर रुपया बाजार से संबंधित कार्यदल गठित किया गया।

* यह सामग्री सांकेतिक स्वरूप की है और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
15 मार्च 2019	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाज़ारों में दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं की तर्ज पर भारतीय रिज़र्व बैंक (बाजार दुरुपयोग रोकथाम) दिशानिर्देश ,2019 जारी किया गया।
27 मार्च 2019	• वर्ष 2019-20 में एफपीआई सीमा को बढ़ाकर जी -सेक और एसडीएल के बकाया स्टॉक का क्रमशः 6 प्रतिशत और 2 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, कार्पोरेट बॉण्ड में एफपीआई सीमा को बकाया स्टॉक का 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया। • हेजिंग और हेजिंग से इतर अन्य प्रयोजनों के लिए अनिवासियों को भारत में ऑनशोर ओटीसी रुपया आईआरडी बाज़ार में प्रवेश की अनुमति दी गयी।
25 अप्रैल 2019	भारत में ऋण लिखतों तक अनिवासी निवेशकों के पहुँच को व्यापक बनाने के लिए एसडीएल के लिए निर्धारित सीमा के भीतर म्यूनिसिपल बॉण्ड में निवेश करने के लिए एफपीआई की अनुमति दी गयी।
24 मई 2019	एफपीआई के लिए वीआरआर नामक एक अलग चैनल प्रारंभ किया गया जिसमें भारत में दीर्घ कालिक ऋण निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिक परिचालनगत ढील दी गयी है।
20 जून 2019	बैंकों (विदेशी मुद्रा-खुदरा) के खुदरा ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री के लिए सीसीआईएल द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गयी जिसका परिचालन 5 अगस्त 2019 से शुरू किया जाएगा।
26 जून 2019	• भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु एक परिपूर्ण वातावरण तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से पहुँच में निरंतरता और सुगमता हासिल करने के लिए सभी ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों (ओटीसी एवं एक्सचेंज में की गयी खरीद-बिक्री दोनों) को शामिल करते हुए ब्याज दर डेरिवेटिव से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया गया। • रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजार में बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अभिशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से वित्तीय बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर (एफबीए) के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क लागू किया गया।
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
13 मार्च 2019	रिज़र्व बैंक ने अपनी चलनिधि प्रबंधन टूलकिट में वृद्धि की और रुपए चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए दीर्घ-कालिक विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी आरंभ की। इस तरह की पहली स्वैप खरीद/बिक्री नीलामी 26 मार्च 2019 को की गयी।
	विदेशी मुद्रा विभाग
29 अगस्त 2018	भारत सरकार के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष – केरल में विनिमय गृहों के माध्यम से विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि बैंक विप्रेषणों को सीधे कोष में जमा करेंगे तथा बैंक विप्रेषणकर्ताओं के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
1 सितंबर 2018	भारत में प्राप्त विदेशी निवेशों के लिए फेमा के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग ढांचा, जिसके अनुसार इन निवेशों को भिन्न-भिन्न प्रकार से विभिन्न प्लेटफॉर्मो, फार्मेट तथा माध्यमों पर फाइल किया जाता था को एकीकृत करने के उद्देश्य से फर्मस एप्लिकेशन के माध्यम से एक एकल मास्टर फॉर्म को लागू किया गया है।
7 सितंबर 2018	भारत में एडी (श्रेणीI) बैंकों के माध्यम से गैर बैंक संस्थाओं द्वारा बाहरी विप्रेषण सेवाओं को विदेशी शिक्षा के लिए निर्धारित सीमा को प्रति लेन-देन 10,000 अमरीकी डालर तक बढ़ाकर संशोधित किया गया है।
19 सितंबर 2018	विदेशों से पूंजी जुटाने पर विनिर्माण क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को कम करने तथा रुपये में मूल्यवर्गित बॉन्डों के लिए द्वितीयक बाजार में चलनिधि स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के साथ विचार- विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है की ईसीबी नीति के कुछ पहलुओं का उदारीकरण किया जाए।
3 अक्तूबर 2018	आयात की उच्चतर आवश्यकताओं के मद्देनजर विदेशी मुद्रा उधार तक पहुँच आसान हो इस उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को कार्यशील पूंजी हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सभी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से 3/5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई।
6 नवंबर 2018	इनफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जुटाए गए ईसीबी के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम औसत परिपक्वता अपेक्षा को घटाकर 3 वर्ष किया गया तथा पूर्व में निर्धारित 10 वर्ष के बजाय 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले ईसीबी पर इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत अनिवार्य हेजिंग से छूट दी गई।
12 नवंबर 2018	भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी " आधार पर सभी प्रकार के बैंक खातों में संयुक्त धारक/ धारकों के रूप में नजदीकी अनिवासी (एनआरआई) भारतीय रिश्तेदार/ रिश्तेदारों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई।
26 नवंबर 2018	इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 3 तथा 5 वर्ष के बीच की परिपक्वता के लिए जुटाए गए ईसीबी के लिए अनिवार्य हेजिंग अपेक्षा को 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत किया गया।
16 जनवरी 2019	ईसीबी तथा रुपए में मूल्यवर्गित बॉन्ड के फ्रेमवर्क को तर्कसंगत बनाया गया ताकि कारोबारी सुगमता बेहतर हो।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
5 फरवरी 2019	भारत में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित सभी नौ फॉर्म्स को फर्म्स एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया।
7 फरवरी 2019	अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लक्ष्य कंपनी के रुपया सावधि ऋणों की चुकौती के लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत समाधान के आवेदकों के लिए अंतिम–उपयोग संबंधी प्रतिबंधों को शिथिल किया गया और उन्हें भारतीय बैंकों की शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को छोड़कर मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई।
27 फरवरी 2019	यदि कोई गैर-सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन, किसी विदेशी सरकार की निकाय/ एजेंसी / विभाग यदि अंशतः अथवा पूर्णतः विदेशी अंशदान(विनियम) अधिनियम, 2010(एफ़सीआरए) के अंतर्गत आने वाली किसी एक गतिविधि में लिप्त है, द्वारा भारत में शाखा कार्यालय अथवा कोई संपर्क कार्यालय अथवा कोई परियोजना कार्यालय अथवा अन्य कोई कारोबारी स्थान खोलने के मामले में छूट प्रदान की गई।
13 मार्च 2019	कारोबार करने में आसानी हो और आयातकों की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुसंगत और सुगठित रूपरेखा बनाने के लिए व्यापार ऋण नीति को युक्तिसंगत बनाया गया था।
20 मार्च 2019	• भारत से नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाला एक व्यक्ति महात्मा गाँधी (नई) शृंखला के भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को ₹25000 की कुल सीमा तक ₹200 और / या ₹500 के मूल्यवर्ग में ले जा सकता है। • सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार के अनुमानों के संकलन की सुविधा के लिए एफईटीईआरएस के तहत बीओपी फाइल प्रारूप में अंतिम निर्यातक/ आयातक के देश कोड को दर्ज करने के लिए एक अतिरिक्त फील्ड शामिल करने का निर्णय लिया गया था।
28 मार्च 2019	• जिस रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा और सूचना और प्रसारण केंद्र के क्षेत्र में आवेदक का कारोबार है वहां बीओ / एलओ / पीओ या भारत में किसी अन्य स्थान पर कारोबारी स्थल खोलने के लिए यदि संबंधित मंत्रालय / नियामक द्वारा सरकारी अनुमोदन या लाइसेंस / अनुमति पहले से ही प्राप्त की गई है, तो रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। • सेबी के पास पंजीकृत एफपीआई / एफवीसीआई तथा लंबी अवधि के लिए वीजा प्राप्त भारत में निवास करनेवाले बांगलादेश और पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलने के लिए कतिपय संशोधन किए गए हैं।
11 अप्रैल 2019	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में पंजीकृत पुनर्बीमा तथा मिश्रित बीमा ब्रोकर अपने कारोबार के सामान्य क्रम में लेनदेन करने के प्रयोजन हेतु भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाते खोल तथा बनाए रख सकते हैं।
	बैंकिंग विनियमन विभाग
12 जुलाई 2018	डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं और धनशोधन हेतु इसके संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा। ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे।
1 अगस्त 2018	बैंक दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे तत्काल प्रभाव से 6.75 प्रतिशत किया गया।
2 अगस्त 2018	बैंकों को सूचित किया गया कि फॉर्म 'ए' (सीआरआर) रिटर्न और फॉर्म VIII (एसएलआर) रिटर्न में रिपोर्टिंग के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों, आईएनआर / यूएसडी में देयताओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को परिवर्तित करने के उद्देश्य से एफबीआईएल द्वारा घोषित परिवर्तन दर का 20 जुलाई 2018 को समाप्त रिपोर्टिंग पखवाड़े से उपयोग करें।
2 नवंबर 2018	बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण, जमाराशि न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) द्वारा जारी किए गए बॉन्डों को आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) प्रदान करने की अनुमति दी गई।
29 नवंबर 2018	बैंकों को सूचित किया गया कि एनएसएफ़आर दिशा-निर्देश 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।
5 दिसंबर 2018	• एसएलआर को एलसीआर के अनुरूप बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि एसएलआर, जो कि एनडीटीएल का19.5 प्रतिशत था, को 5 जनवरी 2019 से प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में 25 आधार अंक से घटाया जाए जब तक कि यह 11 अप्रैल 2020 को एनडीटीएल के 18 प्रतिशत पर न पहुंच जाए। • कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश (1 अप्रैल 2019 से प्रभावी) जारी किए गए जिसमें बैंकिंग प्रणाली से ₹1500 मिलियन या उससे अधिक की निधि- आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले बड़े उधारकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी में 40 प्रतिशत (1 जुलाई 2019 से 60 प्रतिशत की वृद्धि) आवश्यक ऋण घटक और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनाहरित हिस्से पर 20 प्रतिशत क्रेडिट संपरिवर्तन कारक निर्धारित किए गए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 दिसंबर 2018	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित), एसएफबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को सूचित किया गया कि वे विद्यमान लेन-देनों के संबंध में 31 मार्च 2019 तक तथा सभी चालू लेन-देनों पर निरंतर आधार पर सरसाई (CERSAI) के साथ प्रभार फाइलिंग पूर्ण कर लें।
28 दिसंबर 2018	सुविधाओं का विस्तार – (क) बैंकों को अनुमति दी गई कि वे 31 मार्च 2019 तक एनबीएफसी और एचएफसी को अपने वृद्धिशील उधार देने के संबंध में बैंक के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर एफएएलसीसीआर के तहत श्रेणी 1 एचक्यूएलए के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की गणना कर सकते हैं। (ख) एनबीएफसी के लिए एकल उधारकर्ता सीमा को 31 मार्च 2019 तक पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
9 जनवरी 2019	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 के अंतर्गत 'धर्मादाय संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अन्य कोई संस्था को जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति के रूप में शामिल करने के लिए इस योजना से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को सूचित किया गया।
10 जनवरी 2019	यह निर्णय लिया गया कि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतिम चरण को लागू करने की संक्रमण अवधि को 1 वर्ष, अर्थात् 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया जाए। एटी 1 लिखतों को राइट डाउन करने / बदलने के लिए सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) स्तर में 5.50 प्रतिशत से 6.125 प्रतिशत तक की वृद्धि को भी 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दिया गया है।
11 जनवरी 2019	बैंकों को सूचित किया गया कि पोतलदान पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माताओं द्वारा निर्यातों के संबंध में ब्याज समतुल्यीकरण दर में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ सभी पात्र निर्यातकों को दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से 5 वर्ष के लिए प्रभावी है जिसमें पहचान किए गए 416 टैरिफ लाइनों के निर्यात तथा एमएसएमई के निर्यात शामिल हैं और 2 जनवरी 2019 से पोत निर्यातकों को शामिल किया जाएगा। इन्हें पहचान की गई टैरिफ लाइनों के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पादों के निर्यात के संबंध में ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज समतुल्यीकरण की अनुमति दी गई है।
7 फरवरी 2019	बैंक दर को 25 आधार अंक से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.5 प्रतिशत किया गया।
22 फरवरी 2019	• कॉरपोरेट को एक्सपोजर की पद्धति के समान ही उच्च रेटिंग वाले एनबीएफसी को ऋण प्रवाह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मौजूदा नियमों के अधीन तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए मानकीकृत विधि के अंतर्गत मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भार दिया गया है। रेट किए गए और रेट न किए गए, दोनों प्रकार के सीआईसी के प्रति एक्सपोजर पर 100% का जोखिम भार लगाया जाना जारी रहेगा। • एमएसएमई के मौजूदा ऋण, जो 1 जनवरी 2019 को डिफॉल्ट में थे, किंतु जिनकी गुणवत्ता 'मानक' है, के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा घटाए बिना कुछ शर्तों के अधीन एकबारगी पुनर्रचना की अनुमति दी गई थी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के लिए उपलब्ध है जो 1 जनवरी 2019 को अन्य बातों के साथ-साथ बैंक और एनबीएफसी के प्रति ₹250 मिलियन की अधिकतम सीमा तक समग्र एक्सपोजर सहित, वस्तुनिष्ठ मानदंडों की अर्हता पूर्ण करते हैं। हालांकि, जीएसटी पंजीकरण की शर्त इससे छूट प्राप्त एमएसएमई पर लागू नहीं होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि जीएसटी पंजीकरण से संबंधित छूट परिपत्र की तारीख यथा, 1 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार लागू सीमा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। • एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफ़बी के लिए विशाल जमाराशियों की परिभाषा को '2 करोड़ और उससे ऊपर' एकल रुपया सावधि जमाराशि के रूप में संशोधित किया गया है। पर्यवेक्षी समीक्षा में सुविधा के लिए बैंकों को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में विशाल जमाराशि ब्याज़ दर कार्ड को बनाए रखने के लिए कहा गया।
22 मार्च 2019	एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) के लिए इंड एएस का कार्यान्वयन जो पहले 1 वर्ष के लिए आस्थगित किया गया था, इसे आगामी सूचना तक आस्थगित कर दिया गया।
1 अप्रैल 2019	बैंकों को सूचित किया गया कि वे आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधीकरण (आईआरएसीपी) मानदंडों से विचलन के बारे में तब प्रकटीकरण करें, जब निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक या दोनों पूरी होती हों : (क) रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक हो, और (ख) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हो।
4 अप्रैल 2019	• बैंकों को सूचित किया गया कि एलसीआर की गणना के प्रयोजन से 4 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक उनके द्वारा अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएएलएलसीआर के अंतर्गत एसक्यूएलए श्रेणी 1 के रूप में धारित अतिरिक्त 2 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों को हिसाब में लें। • बैंक दर को 25 आधार अंक से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
8 मई 2019	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बगैर आईएल एण्ड एफएस या इसकी समूह संस्थाओं के खातों को 'एनपीए' के रूप में वर्गीकृत करने पर रोक लगाई गई। उपर्युक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, बैंकों तथा एआईएफआई को 24 अप्रैल 2019 के परिपत्र द्वारा सूचित किया गया कि वे अपने खाते नोट्स में बकाया राशि, राशि जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए हो, लेकिन जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो, का प्रकटीकरण करें और आईएलएफ़एस एवं आईएलएफ़एस संस्थाओं के संबंध में किए गए प्रावधानों को भी प्रकट करें। इसके बाद, एनसीएलएटी ने अपने 2 मई 2019 के आदेश के द्वारा बैंकों को आईएलएंडएफसी और इसके समूह में अपने एक्स्पोजर को एनपीए में वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान की। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल 2019 के उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देश वापस ले लिए गए।
29 मई 2019	केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन किए गए। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बैंकों को व्यक्तियों की पहचान के लिए स्वैच्छिक रूप से उनके आधार क्रमांक का प्रयोग करके आधार अधिप्रमाणन / ऑफलाइन सत्यापन करने की अनुमति देना; (ii) आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की सूची में "आधार क्रमांक धारण करने का प्रमाण" जोड़ना; (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कोई लाभ या आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों के ई-केवाईसी अधिप्रमाणन हेतु ग्राहकों का आधार क्रमांक प्राप्त करना; तथा (iv) बैंकों से इतर विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों की पहचान के लिए आधार अधिनियम के अंतर्गत ऑफलाइन सत्यापन का प्रावधान करना, यदि स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध कराया जाए।
31 मई 2019	शाखा प्राधिकार नीति को युक्ति संगत बनाने से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया जिसमें आरआरबी के लिए 'बैंकिंग आउटलेट' की अवधारणा शुरू की गई। अनुदेशों में आरआरबी के लिए भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग आउटलेट पर जारी अनुदेशों की तर्ज पर बैंकिंग आउटलेट की अवधारणा शुरू की गई। संशोधित अनुदेशों के अनुसार, किसी आरआरबी को उसके द्वारा पिछले वित्त वर्ष के दौरान खोले गए कुल 'बैंकिंग आउटलेट' में से कम से कम 25 प्रतिशत बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलने के पश्चात ही टियर 1 से 4 केंद्रों में नए बैंकिंग आउटलेट खोलने की अनुमति होगी।
3 जून 2019	एक्सपोजर तथा संकेंद्रण को अधिक सटीक रूप से पहचानने तथा इस फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए 'वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क' पर दिनांक 1 दिसंबर 2016 और 1 अप्रैल 2019 के परिपत्रों में संशोधन किए गए। संशोधित दिशा-निर्देश पूर्व में जारी परिपत्रों को अधिक्रमित करते हैं।
6 जून 2019	बैंक दर को 25 आधार अंक से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.0 प्रतिशत किया गया।
7 जून 2019	रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क जारी किया गया।
10 जून 2019	• यह निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा एसडीएल की पुनः खरीद को पहले से छूट प्राप्त लेनदेन के अलावा बैंक के 'लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय वक्तव्य' में 'लेखे पर टिप्पणियां' में उल्लिखित मानदंडों के प्रकटीकरण से भी छूट प्रदान की जाए। • बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) से संबद्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई।
28 जून 2019	• यह निर्णय लिया गया कि 01 अक्तूबर 2019 से प्रारंभ हो रही तिमाही से घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डीएसआईबी) के लिए न्यूनतम लिवरेज अनुपात 4 प्रतिशत और अन्य बैंकों के लिए 3.5 प्रतिशत प्रभावी होगा। • भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में सभी बीओ/ कार्यालयों की डायरेक्टरी से संबंधित मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) प्रणाली रखता है जिसके माध्यम से बीएसआर कोड आबंटित किए जाते हैं। इसे वेब-आधारित नई रिपोर्टिंग प्रणाली नामत: बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रपत्र होता है।
घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	
6 जुलाई 2018	एटीएम हानियों का वितरण तथा निवेश घट-बढ़ रिज़र्व (आईएफआर) की स्थापना से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए।
16 अगस्त 2018	• रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के अधीन वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों के साथ लेनदेन करने के अलावा यूसीबी को द्वितीयक बाजार में म्यूचुअल फंड, पेंशन / भविष्य निधि और बीमा कंपनियां के साथ गैर-एसएलआर निवेश के अधिग्रहण/बिक्री के लिए पात्र लेनदेन करने की अनुमति दी गई। • एलएएफ को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तक विस्तारित किया गया। 20 अगस्त 2018 से एलएएफ के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा के अलावा एक अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने के लिए एमएसएफ को अनुसूचित यूसीबी और अनुसूचित एसटीसीबी तक विस्तारित किया गया।
27 सितंबर 2018	यूसीबी को स्वैच्छिक रूप से एसएफसी में परिवर्तन की अनुमति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए बशर्ते कि यूसीबी की निवल परिसंपत्ति ₹500 मिलियन हो, सीआरएआर 9 प्रतिशत बना रहने के साथ-साथ अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।
10 जून 2019	चलनिधि दबाव वाले यूसीबी को परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों को बेचने की अनुमति दी गई।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	गैर बैंकिंग विनियमन विभाग
27 जुलाई 2018	एकल प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति दी गई।
25 अक्टूबर 2018	सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एआरसी के प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड संबंधी निदेश जारी किया गया।
29 नवंबर 2018	5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के संबंध में प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) में छूट प्रदान करते हुए, इसे छह माह और बढ़ाया गया।
22 फरवरी 2019	• गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए घोषित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत परिकल्पित उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई। • एएफसी, एलसी और आईसी को नियंत्रित करने वाले विनियमन का समानीकरण कर एक नयी प्रकार की एनबीएफसी नामतः एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) में विलय किया गया।
16 अप्रैल 2019	जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण निवेश और ऋण कंपनियां, कुछ शर्तों के अधीन प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II (एडी-कैट-II) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनाई गई।
16 मई 2019	₹50 बिलियन से अधिक परिसंपत्ति वाली एनबीएफसी को स्पष्ट विनिर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व के साथ मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया।
29 मई 2019	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एमएचपी आवश्यकता से संबंधित छूट को 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ाया गया।
28 जून 2019	एआरसी को कुछ शर्तों के अधीन अन्य एआरसी से वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
	गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
8 मई 2019	रिज़र्व बैंक के पास रजिस्टर्ड एनबीएफसी को सलाह दी गई है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाएँ इलेक्ट्रानिक फार्मेट में रिपोर्ट करें।
	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
3 सितंबर 2018	10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले सभी एससीबी(आरआरबी को छोड़कर) में आंतरिक लोकपाल योजना 2018 लागू की गयी है।
31 जनवरी 2019	डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना शुरू की गई।
26 अप्रैल 2019	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना को जमा स्वीकार न करने वाली उन एनबीएफसी तक विस्तारित किया गया, जिस एनबीएफसी के पास ₹1 बिलियन या उससे अधिक की परिसंपत्ति तथा ग्राहक इंटरफ़ेस हो।
24 जून 2019	शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई।
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
29 अक्टूबर 2018	सहायक सामान्य बही खाता(एसजीएल) और संघटक सहायक बही खाता (सीएसजीएल) की व्यापक समीक्षा की गई और सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारी को बढ़ाने तथा बाजार प्रतिभागियों को एसजीएल और सीएसजीएल खाता खोलने और उनका उपयोग करने में परिचालनात्मक सहूलियतों को बढ़ाने हेतु संशोधित अधिसूचना जारी की गई।
16 नवंबर 2018	लागत मूल्य हस्तांतरण (वीएफ़टी) के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए, लेनदेन के दायरे को व्यापक बनाया गया जहां पात्र संस्थाएं आरबीआई के सीबीएस के माध्यम से सीधे वीएफटी ले सकती हैं।
6 जून 2019	यह निर्णय लिया गया कि निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को अपने स्टॉकब्रोकर/अन्य खुदरा प्रतिभागियों की बोलियों को एकत्र करने और एसडीएल की प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के तहत एक समेकित बोली प्रस्तुत करने के लिए एग्रीगेटर्स / फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।
	मुद्रा प्रबंध विभाग
7 सितंबर 2018	भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली में संशोधन से संबंधित 6 सितंबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना की सूचना बैंकों को दी गई।
20 नवंबर 2019	मुद्रा तिजोरी संभालने वाले सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आइकोम्स (आईसीसीओएमएस) के स्थान पर बेहतर मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल लागू करने से संबंधित पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करें।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 फरवरी 2019	मुद्रा तिजोरियों में भंडारण सुविधाओं के मानकीकरण के संबंध में मुद्रा तिजोरी संभालने वाले बैंकों को निर्देश जारी किए गए।
8 अप्रैल 2019	बैंकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बड़ी मुद्रा चेस्ट खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई मुद्रा चेस्ट स्थापित करने के लिए न्यूनतम मानकों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया।
14 मई 2019	बैंकों, सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं के बीच लेन-देन (अर्थात एटीएम नकदी पुन: पूर्ति) का समय पर मिलान करने से संबंधित निर्देश बैंकों को जारी किए गए।
23 मई 2019	बड़ी आधुनिक मुद्रा तिजोरियों, जो मुद्रा तिजोरी की स्थापना के लिए नए शुरू किए गए न्यूनतम मानकों को पूरा कर रही हैं, को गैर- मुद्रा तिजोरी शाखाओं द्वारा नकदी जमा पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को बढ़ाने की अनुमति दी गई।
14 जून 2019	एटीएम परिचालनों में जोखिम कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर सुरक्षा उपायों के बारे में बैंकों को सूचित किया गया।
26 जून 2019	रिजर्व बैंक ने जनता से अपील की है कि अपने सभी लेन-देन में बिना झिझक वैध मुद्रा के रूप में सिक्कों को स्वीकारना जारी रखें।
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
15 अक्तूबर 2018	केंद्रीय प्रतिपक्षकार(सीसीपी) की पूंजी आवश्यकताओं और गवर्नेंस फ्रेमवर्क से संबंधित दिशा-निर्देश और विदेशी सीसीपी की मान्यता के लिए रूपरेखा जारी की गई।
16 अक्तूबर 2018	केवाईसी अनुपालित सभी पीपीआई के लिए (i) यूपीआई के माध्यम से वालेट के रूप में जारी पीपीआई की अंत:परिचालनीयता, (ii) यूपीआई के माध्यम से वालेट और बैंक खातों की अंत:परिचालनीयता और (iii) कार्ड नेटवर्क के माध्यम से कार्ड के रूप में जारी पीपीआई के लिए अंत:परिचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप निर्धारित किए गए।
15 नवंबर 2018	आरटीजीएस प्रणाली धन अंतरण के पूर्ण होने के संबंध में धन प्रेषक को सकारात्मक पुष्टि उपलब्ध कराती है, जिससे धन प्रेषक को एक आश्वासन मिल जाता है कि धन को लाभग्राही खाते में सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है।
4 जनवरी 2019	प्राधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई में किए गए अनाधिकृत इलेक्ट्रानिक भुगतान लेनदेनों में ग्राहक संरक्षण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्राहकों की ज़िम्मेदारी तय करने की समीक्षा की गई।
8 जनवरी 2019	मोबाइल फोन/टैबलेट के माध्यम से किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकन सेवाओं की पेशकश करने के लिए अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क को अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
25 फरवरी 2019	पीपीआई के लिए आवश्यक केवाईसी की समीक्षा की गई और केवाईसी पूरा करने की सीमा 12 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी गई है।
7 मार्च 2019	व्हाइट लेबल एटीएम की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए व्हाइट लेबल एटीएम हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई।
28 मई 2019	1 जून 2019 से आरटीजीएस में ग्राहक लेन-देन की समय सीमा शाम 4:30 बजे से बढ़ाकर शाम 6:00 बजे तक की गई।
11 जून 2019	1 जुलाई 2019 से आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग करते हुए आउटवर्ड लेनदेन करने के लिए बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले प्रसंस्करण शुल्क और परिवर्ती समय संबंधी लिए जाने वाले शुल्क और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफटी प्रणाली में प्रसंस्कृत लेनदेन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले प्रसंस्करण शुल्क को भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
12 जून 2019	प्राधिकृत घरेलू सीसीपी के शासन के दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई।